

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम).....**लौक सभा**.....(संघन का नाम) के लिये
निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र:

भाग—क

मैं वाहनी मेंडल **पुत्र/पुत्री/पक्षी रव. प्रभ. मेंडल

आयु..... ५७ .. वर्ष, जो रुग्न + पो० - सिंहास्त्री

बाला - सिंकटरा गिला - पट्टौर, पीने कोड - 811315 राम-विठ्ठल

(डाक का पूरा पता लिखें) का / की निवासी हूँ, और उपरोक्त निवार्चन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ कर्त्ती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ कर्त्ती हूँ :-

(1) मैं लोक दल (** राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ५० पश्चुि सेवीप सेठ भिकंगा विधान सभा (विधायक)

के कम से २७५ पद प्रविष्ट हैं।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 9334319801 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) भैंस है।

(4) स्थाई लेखा संक्षिप्त (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदिहित कुल आय (रुपये में) ००००००५२५२५
१०	रामधी मेडल	३००८	३००८	३००८

1	स्वयं	श्रूति	श्रूति	श्रूति
2	पति या पत्नी	श्रूति	श्रूति	श्रूति
3	आश्रित -1	श्रूति	श्रूति	श्रूति
4	आश्रित -2	श्रूति	श्रूति	श्रूति
5	आश्रित -3	श्रूति	श्रूति	श्रूति

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।



(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएँ सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया हैं	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/है	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं / है जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त}

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न }

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया हैं, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये संज्ञान लिया गया हैं	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिये फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिये सिद्धोष ठहराया गया हैं / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दंडादेश दिया गया हैं / नहीं दिया गया है :

यदि अभियाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धोष ठहराया गया हैं और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(६)	छेत्र भागों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये सिद्धदोष ठहराया गया है।	शुल्क
(७)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला (विधायिका और आदेश (आदेशों) की तारीख(तारीखें))	शुल्क
(ग)	अधिरोपित दंड	शुल्क
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ हैं। यदि हैं, तो अपील के ब्यौरों और वर्तमान प्रास्तिति	शुल्क

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ.जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2—जमा/विनिधान की दशा में कम सं०रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3—सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4—यहाँ आश्रित का वही अर्थ हैं जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5—रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

कम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	अश्रित-1	अश्रित-2	अश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50,000	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	27,699/- सेन्टल बैंक भारत इंडिया शाखा मुरादाबाद फटना - ५ रकम 13,52456304	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क



(V)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म, लक्ष्य, न्यास आदि को दिए गए, वैष्णवितक ऋण/अग्रिम और श्रणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(VI)	मोटरयान/चायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रेकरण संख्या आदि कार्य करने का वर्ष और रकम)	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(VII)	जिप्यान, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	सोना-45 ग्राम मूल्य- 45,000	शूल	शूल	शूल	शूल
(VIII)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(IX)	समग्र कुल मूल्य	1,31,000/-	शूल	शूल	शूल	शूल

आ. स्थावर आस्तिया व्यार टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पुथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	अश्रित-१	अश्रित-२	अश्रित-३
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	पिछोड़ी में इम्प्रेज़ि ५० डॉ०	बूल	बूल	बूल	बूल
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	५० डॉ०	बूल	बूल	बूल	बूल
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	डॉ	बूल	बूल	बूल	बूल
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख	बूल	बूल	बूल	बूल	बूल
	क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में)	बूल	बूल	बूल	बूल	बूल
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	बूल	बूल	बूल	बूल	बूल
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	बूल	बूल	बूल	बूल	बूल
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	बूल	बूल	बूल	बूल	बूल
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	बूल	बूल	बूल	बूल	बूल
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख	बूल	बूल	बूल	बूल	बूल
	क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में)	बूल	बूल	बूल	बूल	बूल
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	बूल	बूल	बूल	बूल	बूल
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	बूल	बूल	बूल	बूल	बूल

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप) ०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हो या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	मर्मान सिन्होडी जग भाज गांव जिला पट्टौर 1200 वर्गफुट	मर्मान में मर्मान १०० वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1200 वर्ग फुट	१०० वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२०० वर्ग फुट	१०० वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हो या नहीं)	हॉ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	२०.५.१९९१	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	२,०००.००/-	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	६०००.००/-	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२०००००/-	३०,०००००/-	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	५०००००/-	३०,०००००/-	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	बैंक / किसी संस्था (सम्पत्ति का) ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम व बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	प्रदूषित वर्षित भिन्न किसी अस्थायिकों, जिनका या ऋण या शोध्य नाम बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	कोई अन्य दायित्व	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	दायित्वों का कुल योग	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	आय-कर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	धनकर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	सेवाकर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	विक्रय कर शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	कोई अन्य शोध्य	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हो तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल

(9) वृत्ति या उपजीविका के द्वारे:

(क) स्वयं शूल

(ख) पति या पत्नी शूल शूल


शूल

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

मैट्रिक्युलेशन ऑफ इंडियन इन्डिपेंडेंस एज्यूकेशन, मैट्रिक्युलेशन बाजार - ३१८८१, पिला - ८५७५८
 (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रय के पूर्ण प्रलेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय
 विद्यालय / हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रय पूरा
 किया गया था का व्योरा दें)

भाग - ख

(11) भाग - क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण



1.	अभ्यर्थी का नाम		श्री/ श्रीमती/ कुमारी	कामजी मंडल		
2.	दाक का पता *		ग्राम + पो. सिल्लोड़ी बाजार - ३१८८१	पिला - ८५७५८ पीठ - ४११३१५ विहार		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		४० ८५७५८ इंडीयन निर्वाचन बोर्ड विहार			
4.	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)			लोकदल		
5.	(1) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (2) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है (उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)			शून्य		
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया है।(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा(1),उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)			शून्य		
7.	 का स्थायी लेखा सं. 0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8.	आस्तियाँ और दायित्वों के व्यौरे(रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रम कीमत	शून्य	₹ 1,00000/-	शून्य	शून्य

	II.	क्य के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास / संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शूल	6,00000/-	शूल	शूल	शूल
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान मौजूदा कीमत	शूल	30,00000/-	शूल	शूल	शूल
		(स्वर्जित आवास कुल मूल्य) (अप्रैल 2011 विरासती आस्ति कुल मूल्य) (कुल मूल्य)	शूल	30,00000/-	शूल	शूल	शूल
		(वापिसी शोध्य कुल)	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	शूल				
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शूल	शूल	शूल	शूल	शूल
11		उच्चतम शैक्षिक अहता: मैट्रिक पात्र छेनग झोड़ी भालाली उच्च विधालय नेपोल व्यान - फिर्दरा फिल - पान्डु (विहार) निवास नं. ११६. (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभियाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख ०५/०५/१९ को सत्यापित किया गया। Ramje Mandal,

Identity By

Who is identifying Adv. R.K.Singh.

Rajesh Kumar Singh, Adv. Advocate of law confirmed and
declared before me. *20/05/2019*

अभियाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को ३०० बजे अपराह्न तक फाईल किया जाना चाहिए।

No. २०१९

Hagayati (म. A.H)

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।



टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भारा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जनकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकिक या सुपार्दयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण-5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसजेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिये गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ या ‘ज्ञात नहीं’ जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की सवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

“मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं..... 9334319801

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है..... ३१८

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... ३१८